अति गोपनीय

संख्या 13/48/85-कार्मिक-1

प्रेषक,

गिरीश मेहरा,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिलाधिकारी/मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव।

लखनऊः दिनांक 26 अक्तूबर, 1985

विषय :-सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिये अनिवार्य सेवा निवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग-1

वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-2, भाग-2 से 4 तक में प्रकाशित "मूल नियम-56" में यह व्यवस्था है कि 50 वर्ष की आयु प्राप्त किसी सरकारी सेवक को उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताए 3 माह की नोटिस अथवा 3 माह का वेतन देकर जनहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है। कार्यालय ज्ञाप संख्या 5/1/1975-कार्मिक, दिनांक 26 अगस्त, 1975 में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति के किए जाने के लिए सरकारी सेवकों की स्क्रीनिंग के निमित नियुक्ति प्राधिकारी की सहायता हेतु स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन करते हुए स्क्रीनिंग करने की अपेक्षा की गई है।

2—शासन द्वारा यह अनुभव किया गया है कि उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार प्रभारी कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित प्रकीर्ण प्राविधानों को आवश्यक संशोधनों सहित संहत में सुविधा हेतु नीचे अंकित करते हुए मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया निम्नांकित प्राविधानों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3—प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी, और यदि नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं तो विभाग के सचिव, अपने अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों के बारे में उपरोक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन ऐसे सरकारी सेवकों की सूची तैयार करेंगे जिन्हें अनिवार्य सेवा निवृत्ति के लिये विचार योग्य समझा जाय। इस प्रयोजन हेतु वे अपने अधीन ऐसे अधिकारियों से संस्तुति प्राप्त कर सकते हैं जिसके नियंत्रणाधीन सरकारी सेवक कार्यरत हों और यदि कोई सरकारी सेवक प्रति नियुक्ति/वाह्य सेवा पर हो तो संस्तुति उस संस्था/सरकार से मांगी जा सकती है जहां वह सरकारी सेवक कार्यरत हो। तदुपरान्त नियुक्ति प्राधिकारी अथवा यथास्थिति, विभागीय सचिव उक्त सूची सम्बन्धित सरकारी सेवकों के संगत अभिलेखों सहित एक स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखेंगे जिसका गठन निम्नवत् होगाः-

(1) ऐसे सरकारी सेवकों की स्क्रीनिंग कमेटी जिसके नियुक्ति अधिकारी राज्यपाल से भिन्न हैः-

(1) नियुक्ति प्राधिकारी	अध्यक्ष
(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित 2 वरिष्ठ अधिकारी	सदस्य

(2) ऐसे सरकारी सेवकों की स्क्रीनिंग कमेटी जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैः-

(क) विभागाध्यक्ष/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष से भिन्न अधिकारियों के सम्बन्ध में-

(1) प्रशासकीय विभाग के सचिव	अध्यक्ष
(2) विभागाध्यक्ष	सदस्य
(3) मुख्य सचिव द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी	सदस्य

(ख) विभागाध्यक्ष एवं अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के सम्बन्ध में:–

(1) मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(2) प्रशासकीय विभाग के सचिव	सदस्य
(3) सचिव, कार्मिक विभाग	सदस्य

(ग) उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों (स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टरों सहित) के सम्बन्ध में:–

(1) मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(2) अध्यक्ष, राजस्व परिषद्	सदस्य
(3) सचिव, नियुक्ति विभाग	सदस्य

नोट:–(1) उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों के सम्बन्ध में कार्यवाही नियुक्ति विभाग द्वारा की जायेगी।

(2) यदि किसी विभाग में सचिव के स्थान पर विशेष सचिव प्रभारी अधिकारी है तो विशेष सचिव स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य होंगे।

4—उक्त स्क्रीनिंग कमेटी की समीक्षा—आख्या प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी विचार करके स्व-विवेक से उपयुक्त निर्णय लेंगे और आवश्यकतानुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश पारित करेंगे। यदि नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल है तो यथा अपेक्षा मुख्य मंत्री/सम्बन्धित मंत्री जी के आदेश प्राप्त करके आवश्यकतानुसार अनिवार्य सेवा नियुक्ति के आदेश पारित किये जायेंगे।

5—विचारणीय अभिलेख—अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय लेने के लिये यद्यपि सम्बन्धित सरकारी सेवक के सम्पूर्ण सेवाकाल के समस्त अभिलेख देखे जाने चाहिए तथापि विशेष बल अन्तिम 10 वर्ष के अभिलेखों पर दिया जाना चाहिए और इस दृष्टिकोण से निर्णय लिया जाना चाहिये कि सम्बन्धित सरकारी सेवक की दक्षता/सत्यनिष्ठा का स्तर क्या ऐसा है जिसके आधार पर उसे जन-हित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिये।

6—कार्यवाही की समय-सारिणी—(1) स्क्रीनिंग की कार्यवाही सम्पन्न करने का उत्तरदायित्व मूलतः नियुक्ति प्राधिकारी का होगा। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विषय में वे नियुक्ति प्राधिकारी हैं उनके विषय में सूचना सामग्री जहां से भी आनी हो समय से प्राप्त हो जाय।

(2) स्क्रीनिंग की कार्यवाही प्रति हर वर्ष उस अधिकारी/कर्मचारी के विषय में होगी जिसने 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(3) यथासम्भव प्रति वर्ष नवम्बर माह के अन्त तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अवश्य कर ली जाय।

(4) स्क्रीनिंग कमेटी की समीक्षा—आख्या नियुक्ति प्राधिकारी को 15 दिसम्बर तक उपलब्ध करा दी जाय। नियुक्ति प्राधिकारी प्रशासकीय विभाग के सचिव अन्तिम रूप से निर्णय 15 जनवरी तक अवश्य ले लें।

7—स्क्रीनिंग कमेटी की विधिक स्थिति—स्क्रीनिंग कमेटी का कोई विधिक स्टेट्स नहीं होगा। वे केवल सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी के समाधान में सहायता के लिये होगी व उनकी कार्यवाहियाँ भी अनौपचारिक होगी। मूल नियम 56 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय लेने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी में सन्निहित है अतः वे ऐसे कर्मचारी/अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय भी ले सकते हैं जिनके मामले स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत न किये जा सकें।

8—मूल नियम 56 के अन्तर्गत आदेशों का प्रारूप—उक्त प्राविधान के तहत सेवानिवृत्ति के आदेश का प्रारूप शासनादेश संख्या 5/475–नियुक्ति–3, दिनांक 14 अगस्त, 1975 के साथ प्रसारित किये गये थे। सुविधा हेतु उक्त प्रारूप संलग्न है। यथासम्भव उक्त प्रारूप के अनुसार ही आदेश जारी किये जांय।

9—कार्मिक विभाग को सूचनायें देना—अनिवार्य सेवानिवृत्ति के निर्णयों को सूचना प्रशासनिक, विभाग के सचिव के माध्यम से संकलित रूप में 31 मार्च तक कार्मिक अनुभाग–1 को निर्धारित प्रपत्र (प्रतिलिपि संलग्न) पर उपलब्ध कराई जाय।

10—अनुरोध है कि कृपया तत्काल उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा इस विषय में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।

भवदीय,
गिरीश मेहरा,
मुख्य सचिव।

संख्या 13/48/85(1)-कार्मिक–1, तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। वे कृपया अपने अधीन प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी को भी तत्काल अनुपालन हेतु उपर्युक्त व्यवस्था से अवगत करा देंगे।

आज्ञा से,
हरीश चन्द्र गुप्त,
विशेष सचिव।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु की गई स्क्रीनिंग से सम्बन्धित वार्षिक सूचना

वर्ष 200 -20

क्रमांक	कार्मिकों की श्रेणी	50 वर्ष की आयु प्राप्त कार्मिकों की कुल संख्या	स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखे गये कार्मिकों की कुल संख्या	कार्मिकों की कुल संख्या जो स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के योग्य समझे जायं	अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की कुल संख्या	स्क्रीनिंग कमेटी के विचार से सहमत न होने के संक्षिप्त कारण	स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखे बिना नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की कुल संख्या, यदि कोई हो	अन्य विवरण यदि कोई हो,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	विभागाध्यक्ष/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष—							
2	पी० सी० एस० संवर्ग—							
	(क) श्रेणी "क" के अधिकारी—							
	(ख) श्रेणी "ख" के अधिकारी—							
3	पी० सी० एस० संवर्ग के भिन्न अधिकारी—							
	(क) श्रेणी "क" ...							
	(ख) श्रेणी "ख" ...							
4	श्रेणी "ग"							
5	श्रेणी "घ"							
	योग							

ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किये जाने के प्रालेख, जिनके नियुक्त प्राधिकारी राज्यपाल से कोई भिन्न अधिकारी हैं।

नोटिस का प्रालेख

समय-समय पर यथासंशोधित फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड–2, भाग-2 से 4 तक में दिये गये फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके मैं (*)————————जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति अधिकारी हूँ, जिस पर आप आरूढ़ हैं एतद्द्वारा नोटिस देकर आप से लोकहित में अपेक्षा करता हूँ कि आप (**)————————इस नोटिस के आप पर तामिल होने के दिनांक से तीन महीने समाप्त होने पर सेवानिवृत्त हो जायं।

नियुक्ति प्राधिकारी के
हस्ताक्षर तथा पद नाम

(*) यहाँ पर नियुक्ति प्राधिकारी का नाम तथा पद नाम लिखा जाय।

(**) यहां पर सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पद नाम लिखा जाय (यदि उक्त पद जिस पर वह कार्य कर रहा हो, स्थानापन्न हो, तो उसका इसी रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए।)

नोटिस की आंशिक अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख

फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-2, भाग-2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 5 के खण्ड (सी) के अन्तर्गत श्री (*)————————————(जिन्हें आगे उक्त व्यक्ति कहा गया है,) को दी गयी नोटिस दिनांक————————के क्रम में (**)————————जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति प्राधिकारी हूँ जिस पर उक्त व्यक्ति आरूढ़ है, लोकहित में आदेश देता हूँ कि उक्त व्यक्ति इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त होंगे और वे नोटिस की शेष अवधि के स्थान पर उसी दर पर अपने वेतन तथा भत्ते यदि कोई हों, के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस दर पर वह उनको अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे।

नियुक्ति प्राधिकारी का हस्ताक्षर
तथा पद नाम

(*) कर्मचारी का नाम व पद नाम।

(**) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम व पद नाम।

नोटिस की कुल अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख

फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड–2, भाग–2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके मैं (*)————————जो उस पद और श्रेणी का नियुक्ति प्राधिकारी हूँ, जिस पर श्री (**)————————————आरूढ़ है, लोकहित में आदेश देता हूँ कि श्री (**)————————इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिए वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस पर वह उनकी अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पहले पा रहे थे।

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर
तथा पद नाम

(*) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम तथा पदनाम, यदि प्राधिकारी राज्यपाल से भिन्न हों।

(**) कर्मचारी का नाम

ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश के प्रालेख जिसके नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं।

नोटिस का प्रालेख

समय-समय पर यथा संशोधित, फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये फण्डामेन्टल रूल 56 से खण्ड (सी) के अधीन राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया है कि आप (*)————————————इस नोटिस के आप पर तामील होने के दिनांक से तीन महीने समाप्त हो जाने पर सेवा से निवृत्त समझे जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

सचिव।

(*) यहां पर सरकारी कर्मचारी का नाम तथा पदनाम लिखा जाय (यदि उक्त पद जिस पर वह कार्य कर रहा है स्थानापन्न हो, तो इसी रूप में इसका उल्लेख कर दिया जाना चाहिए)।

नोटिस की आंशिक अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख-

फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अन्तर्गत श्री (*)————————————(जिन्हें आगे उक्त व्यक्ति कहा गया है) को दी गई नोटिस, दिनांक————————————के क्रम में राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया गया है कि उक्त व्यक्ति इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त होंगे और वे नोटिस की शेष अवधि के स्थान पर उसी दर पर अपने वेतन तथा भत्ते, यदि कोई हों, के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे जिस दर पर वह उनकी अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व पा रहे थे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

सचिव।

नोटिस की कुल अवधि के बदले में वेतन देकर सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश का प्रालेख-

फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) के अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल ने लोकहित में, आदेश दिया है कि श्री (*)———————————— इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिए वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होंगे जिस दर पर वह उनकी अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व पा रहे थे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

सचिव।

(*) उस कर्मचारी का नाम व पदनाम जिस पर आदेश तामील होता है।